अनुदान संख्या 42 - राज्यों को अंतरण
GRANT No. 42 - TRANSFERS TO STATES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*132378,17,00*	*132378,18,00*	*120858,16,02*	*-11520,01,98*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*11520,01,97*
स्वीकृत–	Voted-		51802,61,00	27209,41,97	-24593,19,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				24593,19,02
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*184000,00,00*	*183893,56,75*	*-106,43,25*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*106,43,24*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*13237817.00*			
पू.	*S.*	*1.00*	*12085816.03*	*12085816.02*	*-0.01*
पु.	*R.*	*-1152001.97*			

(I) *₹75000.00 लाख* का *विनियोग* निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत "वित्त आयोग अनुदान" के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(I) *Appropriation* of *₹75000.00 lakhs* remained wholly unutilized under "Finance Commission Grants" under the following heads: -

(का) "नए शहरों के उद्भवन के लिए अनुदान" – *₹50000.00 लाख* नोडल मंत्रालय (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) द्वारा विजेताओं की घोषणा न किए जाने के कारण।

(A) "Grants for incubation of New Cities" - *₹50000.00 lakhs* - due to non-declaration of winners by the Nodal Ministry (Ministry of Housing and Urban Affairs).

(खा) "साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान" – *₹25000.00 लाख* नोडल मंत्रालय (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) से सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण।

(B) "Grants for Shared Municipal Services" - *₹ 25000.00 lakhs* - due to non-receipt of recommendations from the Nodal Ministry (Ministry of Housing and Urban Affairs).

(II) "वित्त आयोग अनुदान" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under "Finance Commission Grants" - savings occurred under the following heads: -

(का) "ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – ग्रामीण निकायों को अनुदान (राज्य)" – *₹853804.29 लाख* की बचत (*₹4980000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(A) "Grants for Rural Local Bodies - Rural Bodies Grants (States)" - saving of *₹853804.29 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹4980000.00 lakhs*);

(खा) "शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान – शहरी निकायों को अनुदान (राज्य)" – *₹639288.76 लाख* की बचत (*₹2565300.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(B) "Grants for Urban Local Bodies - Urban Bodies Grants (States)" - saving of *₹639288.76 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹2565300.00 lakhs*);

(गा) "राज्य आपदा प्रबंधन निधि के लिए सहायता अनुदान – राज्य आपदा प्रबंधन निधि अनुदान (राज्य)" – *₹28600.00 लाख* की बचत (*₹2055040.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

(C) "Grants-in-aid for State Disaster Response Fund - State Disaster Response Fund Grants (States)" - saving of *₹28600.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹2055040.00 lakhs*);

(घा) "सामान्य (प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत) – आपदा राहत – राज्य आपदा राहत निधि अनुदान (राज्य)" – *₹ 15334.57 लाख* की बचत (*₹ 513760.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(D) "General (Relief on Account of Natural Calamities)-Disaster Mitigation - State Disaster Mitigation Fund Grants (States) - saving of *₹15334.57 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹513760.00 lakhs*);

(ड.) "स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान" –

(E) "Grants for Health Sector" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र (शहरी के लिए)" – *₹39131.76 लाख* की बचत (*₹205945.00 लाख* के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई; और

(a) "Urban Health and Wellness Centres (For Urban)" - saving of *₹39131.76 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹205945.00 lakhs*); and

(ख) "ग्रामीण लोक स्वास्थ्य केंद्रो और उप केंद्रों को स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र (ग्रामीण के लिए) में परिवर्तित करना" – *₹ 30796.37 लाख* की बचत (दिसंबर, 2024 में प्राप्त *₹0.20 लाख* के सांकेतिक पूरक विनियोग सहित *₹ 129470.20 लाख* के कुल स्वीकृत विनियोग की तुलना में) हुई।

(b) "Conversion of Rural PHCs and Sub Centers into Health and Wellness Centre (For Rural)" - saving of *₹ 30796.37 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹ 129470.20 lakhs* including token supplementary *appropriation* of *₹0.20 lakh* obtained in December, 2024).

बचतें उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण नोडल मंत्रालय की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above six heads were due to non-receipt of recommendations of Nodal Ministry owing to non-fulfilment of conditions, stipulated by the Finance Commission, by the State Governments.

2. उपर्युक्त बचतें (*₹ 529953.77 लाख*) पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2024 "वित्त आयोग अनुदान – स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत *₹1.00 लाख* का सांकेतिक पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. The above savings were partly (₹529953.77 *lakhs*) utilized for augmenting the *appropriation* by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary *appropriation* of *₹ 1.00 lakh* in December, 2024 "Finance Commission Grants - Grants for Health Sector" under the following heads: -

(I) "प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे को सहायता" – *₹165184.86 लाख*।

(I) "Support for Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities" - *₹165184.86 lakhs*.

(II) "ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयाँ" – ₹29799.54 लाख।

(II) "Block Level Public Health Units" - *₹29799.54 lakh*s.

(III) "बिना भवन वाले उप केंद्र, पीएचसी, सीएचसी (ग्रामीण के लिए)" – ₹334969.37 लाख।

(III) "Building-less Sub Centres, PHCs, CHCs (For Rural)" - *₹334969.37 lakhs*.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	2093400.00	1496603.11	1496603.10	- 0.01
पु.	R.	-596796.89			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	3086860.00	1224338.87	1224338.87	..
पु.	R.	-1862521.13			

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य – राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से राज्यों को सहायता – गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्यों को सहायता" के अंतर्गत ₹611796.90 लाख की बचत (₹1147400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(II) Under Major Head "2245" - "General - Assistance to States from National Disaster Response Fund - Assistance to States from NDRF for calamities of severe nature" - saving of ₹611796.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1147400.00 lakhs); and

(III) मुख्य शीर्ष “3601” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) “वित्त आयोग अनुदान – सामान्य (प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत) – आपदा शमन – राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (राज्य) से राज्य को सहायता” – ₹214888.08 लाख की बचत (₹286860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें, राज्य सरकारों द्वारा वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करने के कारण नोडल मंत्रालय की सिफारिशें प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(खा) “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – विशेष सहायता (राज्य)” – ₹1665000.00 लाख की बचत (₹2000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

(I) मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा खातों में अंतरण – राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि में अंतरण” – ₹15000.00 लाख का अधिक व्यय (₹946000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक वसूली की वजह से अतिरिक्त निधियों के अंतरण के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान” – ₹17366.95 लाख का अधिक व्यय (₹800000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना अनुदान की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआः–

(III) Under Major Head “3601” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Finance Commission Grants - General (Relief on Account of Natural Calamities) - Disaster Mitigation - Assistance to State from National Disaster Mitigation Fund (States)” - saving of ₹214888.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹286860.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of recommendations of Nodal Ministry owing to non-fulfillment of conditions, stipulated by the Finance Commission, by the State Governments.

(B) “Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Special Assistance (States) - saving of ₹1665000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000000.00 lakhs) was due to lesser receipt of proposals from States.

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads: -

(I) Major Head “2245” - “General - Transfer to Reserve Funds/Deposit Accounts - Transfer to National Disaster Response Fund” - excess of ₹15000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹946000.00 lakhs) was due to transfer of additional funds owing to higher recovery.

(II) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes - Grants for Centrally Sponsored Schemes” - excess of ₹17366.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800000.00 lakhs) was due to requirement of additional Externally Aided Projects grants proposed by Office of Controller of Aid, Accounts and Audit.

5. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*18400000.00*	*18389356.76*	*18389356.75*	*-0.01*
पु.	*R.*	*-10643.24*			

(I) *₹10000.00 लाख* का *विनियोग* राज्य सरकारों से अग्रिम के लिए अनुरोध प्राप्त न होने की वजह से "राज्यों को अन्य ऋण – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण – प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)" के अंतर्गत एक मामले में पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹10000.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under "Other Loans to States - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (States)" - due to non-receipt of request for advances from State Governments.

(II) "राज्यों को अन्य ऋण – एकमुश्त ऋण – पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता योजना" के अंतर्गत *₹ 5162697.00 लाख* का अधिक व्यय (*₹ 15000000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने और शर्तों को पूरा न करने के कारण हुआ।

(II) Under "Other Loans to States - Block Loans - Scheme for Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure" - excess of *₹5162697.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹15000000.00 lakhs*) was due to non-submission of utilization certificates and non-fulfilment of the conditions.

6. उपर्युक्त बचतें "राज्यों को अन्य ऋण – एकमुश्त ऋण – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एक के बाद एक ऋण)" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप प्रतिसंतुलित हो गईं – *₹ 50998.76 लाख* का अधिक व्यय (*₹ 3300000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एक के बाद एक ऋण) हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. The above savings were partly offset by excess under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects (Back to Back Loans)" - excess of *₹50998.76 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹3300000.00 lakhs*) was due to requirement of additional funds towards Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Back to Back Loan).

7- *राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ): –*

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ), आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत गठित एक कोष है जिसका उद्देश्य गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान करना है। चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना और कीट आक्रमण जैसी प्राकृतिक आपदाएँ, जिन्हें भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति की माना जाता है और जिनके लिए राज्य सरकार को अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष राशि से अधिक व्यय करना पड़ता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से तत्काल राहत सहायता के लिए पात्र होंगी।

वर्ष 2024–25 के लिए निधि का लेखा इस प्रकार था:–

7. *National Disaster Response Fund (NDRF):-*

National Disaster Response Fund (NDRF) is a fund constituted under section 46 of the Disaster Management Act, 2005 to facilitate immediate relief in case of calamities of a severe nature. Natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack considered to be of severe nature by Government of India and requiring expenditure by a State Government in excess of the balances available in its own State Disaster Response Fund (SDRF), will qualify for immediate relief assistance from National Disaster Response Fund (NDRF).

The Account of the Fund for 2024-25 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	14092,47,40
प्राप्तियां	Receipts	9610,00,00
संवितरण	Disbursements	5356,16,96
अंतशेष	Closing Balance	18346,30,44